उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 24 फाल्गुन, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 14 मार्च, 2008)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. निधन के निदेश।

3. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

6. सभापति, आश्वासन समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2007-08) का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

7. श्री गणेश जोशी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून शहर के बीच में स्थित मौहल्ला वासियों के लिए सीवर लाईन बिछाये जाने के संबंध में" श्री आलोक अग्रवाल, 7 डांडीपुर एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री गणेश जोशी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून शहर के बीच में बहने वाले नालों को कवर करने के संबंध में" श्री आलोक अग्रवाल, 7 डांडीपुर एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री खजान दास, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील धनोल्टी विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत पट्टी सकलाना को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिये जाने के संबंध में'' डॉ0 प्रेमलाल पुत्र श्री लीलाधर एवं अन्य निवासीगण ग्राम व पो0 उनियालगांव, पट्टी- सकलाना, टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद ऊधमसिंह नगर के मो0 हसन पुत्र श्री कुरबान अली निवासी वार्ड न0- 1 गुरूद्वारा वार्ड गदरपुर को दिनांक 22 अप्रैल, 2007 को फिरौती के उद्देश्य से अपहृत किये जाने व पुलिस द्वारा बरामदगी न किये जाने के संबंध में'' श्री कुरबान अली पुत्र श्री हाजी सुभान, एवं अन्य निवासीगण वार्ड न0 1 गुरुद्वारा कालोनी पोस्ट गदरपुर, अनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

12. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

13. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

14. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

15. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करेंगे।

16. संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

17. संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करेंगे।

18. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

19. वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 113550 हजार (ग्याहर करोड़ पैंतीस लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(2) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03, मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 300459 हजार (तीस करोड़ चार लाख उनसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(3) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 548064 हजार (चौवन करोड़ अस्सी लाख चौसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(4) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 75972 हजार (सात करोड़ उनसठ लाख बहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(5) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 14206371 हजार (चौदह सौ बीस करोड़ तिरसठ लाख इक्हत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(6) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 4175602 हजार (चार सौ सत्रह करोड़ छप्पन लाख दो हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(7) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 6581889 हजार (छः सौ अठ्ठावन करोड़ अठारह लाख नवासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ङ)**)

(8) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 11184714 हजार (ग्यारह सौ अठारह करोड़ सैंतालीस लाख चौदह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(च)**)

(9) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 3055947 हजार (तीन सौ पांच करोड़ उनसठ लाख सैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(छ)**)

(10) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 776058 हजार (सतहत्तर करोड़ साठ लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ज)**)

(11) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 157395 हजार (पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख पंचानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(झ)**)

(12) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 5229395 हजार (पांच सौ बाईस करोड़ तिरानवे लाख पंचानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ञ)**)

(13) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 1675813 हजार (एक सौ सड़सठ करोड़ अठ्ठावन लाख तेरह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ट)**)

(14) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29, औद्यानिक विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 847176 हजार (चौरासी करोड़ इकहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ठ)**)

20. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

21. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करेंगे।

22. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

23. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

24. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

"राज्य के विकेन्द्रीकृत विकास में सुधार के लिये राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनः परिसीमन कराया जाए।" (30 मिनट)

25. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

26. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में दैवीय आपदा/अतिवृष्टि से ग्रस्त सरकारी परिसम्पत्तियों को तात्कालिक मरम्मत एवं पुनर्निमाण कार्यो के लिए दैवीय आपदा योजना मद से स्वीकृति एवं धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में हाजी तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2008 को दी गई सूचना पर, दैवीय आपदा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

27. उत्तराखण्ड के पर्वतीय अंचलों में निवास कर रही आदिम जनजातियों का पुनर्वास करने के संबंध में श्री गगन सिंह रजवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2008 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 14 मार्च, 2008

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 24 फाल्गुन, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 14 मार्च, 2008)

नत्थी "क"

तारांकित प्रश्न

श्री तिलक राज बेहड़ 15–02–2008	***1.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को नियमित करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**

अतारांकित प्रश्न

श्री पुष्पेश त्रिपाठी 07–02–2008	**1.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण अभ्यर्थियों से सुदूर प्रा० विद्यालयों एवं डायट में अध्यापन/प्रशिक्षण का कार्य कितने–2 माह का लिया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि ऐसे अभ्यर्थियों को वेतन का आरक्षण पिछले 6 माह से नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? सरकार द्वारा उक्त अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थाई नियुक्ति कब तक दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह राणा 07–02–2008	**2.** क्या युवा कल्याण एवं खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर की खटीमा तहसील में स्टेडियम हेतु तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा रेंज की वीट संख्या उत्तरी बनबसा कम्पाट नं. 4 में लगभग 10 एकड़ भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित करने हेतु खेल विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो कार्यवाही की प्रगति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	**खेल**
श्रीमती अमृता रावत 07–02–2008	**3.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अधिकांश राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय इण्टर कालेजों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यालयवार स्वीकृत पदों, कार्यरत शिक्षकों और रिक्त पदों का विवरण क्या है और रिक्त पदों पर कब तक शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी?	**शिक्षा**
श्री केदार सिंह रावत 07–02–2008	**4.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा आचार्यों को सेवा से हटाने का क्या कारण है? क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान में इन्हें समायोजित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**

श्रीमती अमृता रावत 08–02–2008	**5.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज घोड़ियानाखाल में व्यायाम शिक्षक एक लम्बी अवधि से अनुपस्थित है? यदि हाँ तो उक्त शिक्षक कब से अनुपस्थित है और सम्बन्धित शिक्षक के प्रति विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या सरकार लम्बी अवधि से अनुपस्थित शिक्षक के स्थान पर अन्य व्यायाम शिक्षक की तैनाती करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 08–02–2008	**6.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व में संचालित राजकीय आदर्श विद्यालयों में पठन पाठन कार्य त्वरित संचालन तथा छात्रहित में छात्र मानकानुसार अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित करने विषयक आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी में वर्तमान समय में संचालित राजकीय आदर्श विद्यालयों में छात्र मानकानुसार अध्यापकीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 08–02–2008	**7.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में राजकीय इण्टर कॉलेज साल्ड के मुख्य भवन निर्माण का आगणन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्रांक 19053–57/2005–06 दि0 6.1.2006 के द्वारा प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति हेतु शिक्षा निदेशालय को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त आगणन स्वीकृत कर लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 11–02–2008	**8.**	क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री उत्तरकाशी में प्राथमिक विद्यालय सौन्दगांव, मराड़ी धारकोट विकास खण्ड डुण्डा तथा प्रा0वि0 साल्ड विकास खण्ड भटवाड़ी के भवन क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार छात्रहित में क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण करायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 11–02–2008	**9.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के अमर शहीद श्रीदेव सुमन के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो किस सत्र से उक्त अमर शहीदों की जीवनियाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जायेंगी? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्रीमती अमृता रावत 11–02–2008	**10.**	क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के प्राथमिक विद्यालय गढ़कोट में मध्याहन भोजन दिनांक 16.08.2007 से 16.10.2007 तक बन्द रहा? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार उत्तरदायी के विरूद्ध कोई कठोर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री प्रीतम सिंह 13–02–2008	**11.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के पब्लिक स्कूलों में पिछड़े–गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को रियायती दरों पर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**

श्रीमती आशा नौटियाल 14—02—2008	**12.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0इ0कालेज अगस्त्यमुनि में एन0सी0सी0 सीनियर डिवीजन स्वीकृत किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 15—02—2008	**13.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत सुदूर प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हाँ, तो कब और इन प्रशिक्षुओं को सरकार नियमित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्रीमती अमृता रावत 15—02—2008	**14.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों और इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के कितने पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं? और इन पदों पर तैनाती किए जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या यह भी सत्य है कि प्रधानाचार्यों के शत प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का प्रविधान है तथा कब तक इन रिक्त पदों पर तैनाती कर दी जायेगी?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 18—02—2008	**15.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के शिक्षा आचार्य, शिक्षामित्र पद पर नियुक्ति हेतु आन्दोलित हैं? क्या सरकार शिक्षा आचार्यों को शिक्षामित्र के पद पर नियुक्ति हेतु विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 18—02—2008	**16.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री (उत्तरकाशी) अन्तर्गत हाईस्कूल एवं इण्टरकॉलेजों में प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्यों के कुल कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों पर प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री विजय सिंह पंवार 18—02—2008	**17.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का भवन वर्ष 1996 से मदन नेगी में निर्मित है परन्तु उक्त संस्थान का संचालन नई टिहरी में हो रहा है? क्या यह सत्य है कि संस्थान के संचालन हेतु बना भवन बिना उपयोग एवं देख—रेख न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? यदि हाँ, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का संचालन मदन नेगी स्थित भवन में कब से प्रारम्भ हो जायेगा?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 19—02—2008	**18.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की जी.आई. शीट से आच्छादित छतें आंधी—तूफान से क्षतिग्रस्त हो रही हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्यालय भवनों की छतें क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सी.सी. छतें बनाने की कार्ययोजना बनायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं जो क्यों?	**शिक्षा**

श्री गोपाल सिंह रावत 19–02–2008	**19.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने इण्टरमीडिएट कॉलेज भवनहीन हैं एवं कितने भवन क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं? क्या सरकार भवनहीन कालेजों हेतु भवन निर्माण एवं क्षतिग्रस्त भवनों के पुनर्निर्माण हेतु कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री तिलक राज बेहड़ 22–02–2008	**20.** क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूद्रपुर स्टेडियम जनपद उधमसिंह नगर के सुचारू संचालन हेतु पदों का सृजन हो गया है? यदि हाँ तो कितने पदों का सृजन हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?	**खेल**
श्री बलबीर सिंह नेगी 28–02–2008	**21.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के रा.हाईस्कूल निवाल गांव (मेवाल गांव) में अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों पर कब तक तैनाती कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री प्रीतम सिंह 29–02–2008	**22.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की स्वीकृति की कोई प्रक्रिया निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्या जनपद देहरादून में उसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**

नत्थी "ख"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 05 निर्वाचन विभाग।

प्रस्तावक के नाम

(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. यशपाल आर्य,
3. श्री तिलक राज बेहड़,
4. श्री प्रीतम सिंह,
5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
7. श्रीमती अमृता रावत,
8. श्री जोत सिंह गुनसोला,
9. श्री बलवीर सिंह नेगी,
10. श्री किशोर उपाध्याय,
11. श्री गोपाल सिंह राणा,
12. कुंवर प्रणव सिहं "चैम्पियन"
13. श्री केदार सिंह रावत,
14. श्री करन माहरा,
15. श्री मनोज तिवारी,

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी "ग"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 07 **वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य प्रशासन विभाग।**

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. यशपाल आर्य, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री प्रीतम सिंह, 5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 7. श्रीमती अमृता रावत, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. श्री केदार सिंह रावत, 13. श्री करन माहरा, 14. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी "घ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 10 पुलिस एवं जेल विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. यशपाल आर्य, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री प्रीतम सिंह, 5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 6. श्रीमती अमृता रावत, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री बलवीर सिंह नेगी, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री गोपाल सिंह राणा, 11. श्री केदार सिंह रावत, 12. श्री करन माहरा, 13. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. चौ0 यशवीर सिंह, 4. श्री सुरेन्द्र राकेश, 5. श्री तसलीम अहमद, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "च"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 22 लोक निर्माण विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. यशपाल आर्य, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री प्रीतम सिंह, 5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 7. श्रीमती अमृता रावत, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. श्री केदार सिंह रावत, 13. श्री करन माहरा, 14. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. चौ0 यशवीर सिंह, 4. श्री सुरेन्द्र राकेश, 5. श्री तसलीम अहमद, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "छ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 15 **कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग।**

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. यशपाल आर्य, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री प्रीतम सिंह, 5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 7. श्रीमती अमृता रावत, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. श्री केदार सिंह रावत, 13. श्री करन माहरा, 14. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. चौ0 यशवीर सिंह, 4. श्री सुरेन्द्र राकेश, 5. श्री तसलीम अहमद, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "ज"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 23 उद्योग विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. यशपाल आर्य, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री प्रीतम सिंह, 5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 7. श्रीमती अमृता रावत, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. श्री केदार सिंह रावत, 13. श्री करन माहरा, 14. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. चौ0 यशवीर सिंह, 4. श्री सुरेन्द्र राकेश, 5. श्री तसलीम अहमद, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "झ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 14 सूचना विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. यशपाल आर्य, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री प्रीतम सिंह, 5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 7. श्रीमती अमृता रावत, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. श्री केदार सिंह रावत, 13. श्री करन माहरा, 14. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. चौ0 यशवीर सिंह, 4. श्री सुरेन्द्र राकेश, 5. श्री तसलीम अहमद, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "ञ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 30 **स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान विभाग।**

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. यशपाल आर्य, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री प्रीतम सिंह, 5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 7. श्रीमती अमृता रावत, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. श्री केदार सिंह रावत, 13. श्री करन माहरा, 14. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्‌देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. चौ0 यशवीर सिंह, 4. श्री सुरेन्द्र राकेश, 5. श्री तसलीम अहमद, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "ट"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 31 **ट्रायबल प्लान विभाग।**

प्रस्तावक के नाम

(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. यशपाल आर्य,
3. श्री तिलक राज बेहड़,
4. श्री प्रीतम सिंह,
5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
7. श्रीमती अमृता रावत,
8. श्री जोत सिंह गुनसोला,
9. श्री बलवीर सिंह नेगी,
10. श्री किशोर उपाध्याय,
11. श्री गोपाल सिंह राणा,
12. श्री केदार सिंह रावत,
13. श्री करन माहरा,
14. श्री मनोज तिवारी,

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख) 1. श्री शहजाद,
2. श्री हरिदास,
3. चौ0 यशवीर सिंह,
4. श्री सुरेन्द्र राकेश,
5. श्री तसलीम अहमद,
6. श्री प्रेमानन्द महाजन।

-तदैव-

नत्थी "ठ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 29 **औद्यानिक विभाग।**

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. यशपाल आर्य, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री प्रीतम सिंह, 5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 7. श्रीमती अमृता रावत, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. श्री केदार सिंह रावत, 13. श्री करन माहरा, 14. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. चौ0 यशवीर सिंह, 4. श्री सुरेन्द्र राकेश, 5. श्री तसलीम अहमद, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-